पत्रांकः–भ0 / अभि0प्र0(यो0)–02–विविध–64 / 2016.................. 11232(अ)

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

वित्त विभाग से अनौपचारिक रूप से अनुमोदित

संकल्प

पटना, दिनांकः– 18.11.16

विषयः–भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के निरीक्षण एवं गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली हेतु राज्य स्तरीय गुणवत्ता अनुश्रवक (STATE QUALITY MONITOR) की व्यवस्था करने के संबंध में।

वर्त्तमान में भवन निर्माण विभाग द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की स्वीकृत भवन निर्माण की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसमें मुख्यतः विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, विधि विभाग, श्रम संसाधन विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत इंजिनीयरिंग कॉलेज, पॉलिटेकनिक, प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, विभिन्न न्यायालयों के अन्तर्गत कोर्ट भवन एवं आवासीय भवन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यालय, छात्रावास इत्यादि का निर्माण किया जा रहा है।

राज्य सरकार के सात निश्चय के अन्तर्गत कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का क्रियान्वयन प्रस्तावित है।

2. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में निर्माणाधीन, पूर्ण तथा प्रस्तावित भवन निर्माण की योजनाओं में गुणवत्ता का प्रबंधन एक गम्भीर चुनौती है। भवन निर्माण विभाग में अभी ऐसा कोई तंत्र (Mechanism) विकसित नहीं है, जो कि इनका विशेष रूप से प्रबंधन कर सके।

वर्तमान में विभाग द्वारा योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के संबंध में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टम (Project Management Information system) अधिष्ठापित किया गया है तथा निरीक्षण एवं गुणवत्ता मुख्यतः पारंपरिक तरीके से ही लागू रही है।

3. वर्त्तमान व्यवस्था में गुणवत्ता प्रबंधन से लेकर निरीक्षण की जिम्मेदारी अधीक्षण अभियंता तक के विभागीय अभियंताओं की रही है।

4. विभाग में 2.00 करोड़ से अधिक राशि के कार्यो में कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रावधान था। जिसके आधार पर गुणवत्ता प्रबंधन लागू करने की व्यवस्था की गई थी, परन्तु सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता की कमी होने के कारण इस व्यवस्था पर प्रशासनिक नियंत्रण नही हो पा रही थी।

5. उपर्युक्त क्रम में विभाग द्वारा भवन निर्माण की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन, अनुश्रवण और गुणवत्ता हेतु एक स्वतंत्र प्रणाली विकसित करने हेतु राज्य स्तरीय गुणवत्ता अनुश्रवक (STATE QUALITY MONITOR) की व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

6. इसके लिये विभाग द्वारा राज्य स्तरीय गुणवत्ता अनुश्रवक (STATE QUALITY MONITOR) को सूचीबद्ध करने तथा विभाग में इस व्यवस्था को लागू करने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित शर्तो के अधीन दी गयी है:-

i) राज्य स्तरीय गुणवत्ता अनुश्रवक का चयन अधीक्षण अभियंता (पे.बैण्ड-4, ग्रेड पे-8700) अथवा इसके ऊपर स्तर के अवकाश प्राप्त केन्द्र/राज्य सरकार/सरकारी उपक्रमों के अभियंताओ के कार्य अनुभव के आधार पर किया जायेगा। राज्य में कुल 15 व्यक्तियों का पैनल बनाया जायेगा।

ii) राज्य स्तरीय गुणवत्ता अनुश्रवक का चयन 2 वर्षो के सूचीबद्धता (Empanelment) के आधार पर किया जायेगा । उनके द्वारा संपादित कार्यो की वार्षिक समीक्षा की जायेगी । सेवा संतोषप्रद होने पर उनकी सेवा विस्तार एक वर्ष के लिये किया जा सकेगा । कार्य संतोषप्रद नहीं होने की दशा में सूचीबद्धता रद्द की जा सकती है।

iii) राज्य स्तरीय गुणवत्ता अनुश्रवक को प्रतिदिन रूपये 3500/- मानदेय देय होगा। यात्रा भत्ता अलग से देय होगा।

iv) राज्य स्तरीय गुणवत्ता अनुश्रवक को आवंटित जिले में 5 दिवसीय दौरा करना होगा (यात्रा के अलावा)।

v) राज्य स्तरीय गुणवत्ता अनुश्रवक को प्रतिवेदन तैयार करने हेतु रूपये 3000/- अलग से दिया जायेगा ।

vi) राज्य स्तरीय गुणवत्ता अनुश्रवक के जाँच के लिये योजनाओं की प्राथमिकता का निर्धारण विभाग द्वारा किया जायेगा ।

vii) निरीक्षण/परीक्षण करके योजनाओं की overall grading तीन श्रेणियों में दी जायेगी।

(क) संतोषजनक

(ख) संतोषजनक, किन्तु सुधार आवश्यक

(ग) असंतोषजनक, असंतोषजनक श्रेणी की योजनाओं के लिये प्रशासनिक तथा तकनीकी जिम्मेदारी तय हुये त्रुटियों को सुधार कराया जायेगा ।

7. इस कार्य पर व्यय योजनाओं के प्रशासनिक मद से किया जायेगा। इस व्यवस्था पर वार्षिक ₹ 10.50 लाख (रूपये दस लाख पचास हजार) का व्यय संभावित है।

8. इसमें वित्त विभाग कि सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

18/11/16
(अमृत लाल मीणा)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक:-भ0/अभि0प्र0(यो0)-02-विविध-64/2016 11232 (अ) पटना, दिनांक:- 18.11.16

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/11/16
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक:-भ0/अभि0प्र0(यो0)-02-विविध-64/2016 11232 (अ) पटना, दिनांक:- 18.11.16

प्रतिलिपि:–मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/ महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव/सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.11

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक:-भ0/अभि0प्र0(यो0)-02-विविध-64/2016 11232 (अ)

पटना, दिनांक:-18.11.

प्रतिलिपि:–अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह– विशेष सचिव भवन निर्माण विभाग/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–सचिव, ब्राडा/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग के मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18.11

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक:-भ0/अभि0प्र0(यो0)-02-विविध-64/2016 11232 (अ)

पटना, दिनांक:18.11.16

प्रतिलिपि:–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आपसे अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधरण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी पाँच सौ प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

सरकार के प्रधान सचिव